राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त – तृतीय, जयपुर

भविष्य के बाजार में बनें, आप भी भागीदार

जयपुर शहर की सुनियोजित आवासीय योजना जवाहर नगर में सेक्टर -2 के सामने 24 मीटर चौड़े मुख्य मार्ग पर स्थित व्यावसायिक कार्नर भूखण्ड की

नीलामी दिनांक: 10.03.2016 को प्रात: 11:00 बजे

भव्य खुली नीलामी

नीलामी स्थल: राजस्थान आवासन मण्डल मुख्यालय, ज्योति नगर, जयपुर

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	कॉर्नर/सामान्य	क्षेत्रफल (व.मी.)	न्यूनतम बोली मूल्य (रूपये प्रति व.मी.)	अमानत राशि (रूपये)
1.	व्यवसायिक भूखण्ड	कॉर्नर	3061.60	1,05,000/–	50.00 लाख

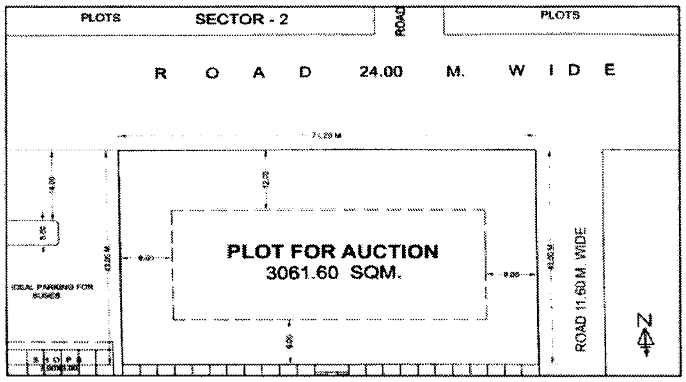

Parameters :
Set Backs

North 12 M.
South 9 M.
East 9 M.
West 9 M.

Other Parameters as per J.D.A. Building Bye-Laws

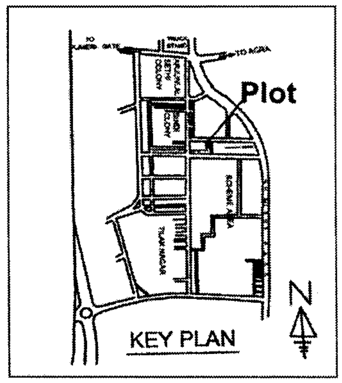

मुख्य विशेषताएं

- जयपुर की प्रतिष्ठित कॉलोनी के हृदय में स्थित।
- रेल्वे स्टेशन से दूरी मात्र 8.5 किमी।
- सिन्धी कैम्प बस स्टेण्ड से दूरी मात्र 8 किमी।
- अजमेरी गेट, एम.आई. रोड़ से दूरी मात्र 6.0 किमी।
- सांगानेरी गेट, जौहरी बाजार से दूरी मात्र 4.0 किमी।

नीलामी की शर्तें मण्डल की वेबसाइट **www.rhbonline.rajasthan.gov.in** पर देखी जा सकती हैं अथवा कार्यालय समय में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं।

सम्पर्क सूत्र :-

आवासीय अभियंता खण्ड प्रथम,
राजस्थान आवासन मण्डल, इन्दिरा गाँधी नगर, जगतपुरा, जयपुर
फोन : 0141-2973987, मो. : 9783810151

उप आवासन आयुक्त वृत्त - तृतीय,
राजस्थान आवासन मण्डल, जवाहर सर्किल, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर
फोन : 0141-2723844, मो. : 9983309406

<u>नीलामी की शर्तें :-</u>

1. प्रत्येक नीलामी में भाग लेने के लिये बोलीदाता को न्यूनतम बिड मूल्य का 5 प्रतिशत अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। राशि रूपये 10.00 करोड़ से कम मूल्य की सम्पत्ति हेतु न्यूनतम बोली मूल्य का 05 प्रतिशत अथवा 30.00 लाख जो भी कम हो, अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। राशि रूपये 10 करोड़ एवं अधिक मूल्य की सम्पत्ति हेतु न्यूनतम बोली मूल्य का 05 प्रतिशत अथवा 50.00 लाख जो भी कम हो, अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी।
2. उच्चतम बोलीदाता को विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा कराई गई राशि को समायोजित करते हुये 72 घन्टे में सम्बन्धित आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर के कार्यालय में जमा करानी होगी। सभी राशियाँ बैंकर्स चैक/डी.डी. के द्वारा जो राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर के नाम देय होगा जमा करानी होगी। यदि जमा कराने के अन्तिम दिन राजकीय अवकाश हो तो उसके आगामी कार्य दिवस में जमा करानी होगी। उक्त राशि जमा न होने पर नीलामी निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी। उच्चतम बोलीदाता द्वारा 72 घण्टे में 10 प्रतिशत राशि जमा कराने के उपरान्त नीलामी स्वीकृति हेतु मुख्यालय प्रेषित की जावेगी। राजस्थान आवासन मण्डल मुख्यालय को बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार होगा।
3. शेष राशि मांग पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी। यदि बोलीदाता 60 दिवस में राशि जमा नही कराता है। तो जमा राशि जब्त कर ली जावेगी और बोली स्वत: निरस्त हो जावेगी।
4. नीलामी से संबधिंत समस्त राशि नकद रूप में प्राप्त न की जाकर पे–आर्डर अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिये प्राप्त की जावेगी।

RE-I, Jaipur

5. खुली बोली न्यूनतम 100/– रूपये के गुणक में स्वीकार होगी परन्तु यह शर्त मोहरबन्द निविदा पर लागू नही होगी।
6. नीलामी समिति का अधिकार होगा कि स्वच्छ व प्रतियोगी बोली प्राप्त नही होने पर वह किसी भी समय बोली कार्य को स्थगित/निरस्त कर सकेगी। खुली बोली में न्यूनतम तीन बोलीदाता अवश्य होना चाहिये अन्यथा बोली स्थगित कर दी जावेगी।
7. फर्म द्वारा नीलामी : यदि किसी कम्पनी अथवा फर्म के नाम से बोली लगाई जाती है तो बोली प्रारम्भ होने से पूर्व ऐसी कम्पनी अथवा फर्म के रजिस्ट्रेशन संबधी दस्तावेज एंव बोली लगाने वाले अधिकृत व्यक्ति के पक्ष में फर्म/कम्पनी द्वारा पारित प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. लीज अवधि राशि एंव लीज राशि : भूखण्ड वार्षिक शहरी जमाबन्दी (लीज होल्ड) पर विक्रय किया जावेगा। लीज की अविध 99 वर्ष की होगी। इस अवधि के बाद मण्डल की सहमति से लीज अवधि 99 वर्ष के अवधि बढ़ाई जा सकेगी। व्यवसायिक भूखण्ड अथवा सम्पत्ति पर लीज 5 प्रतिशत की दर से व्यवसायिक भूखण्ड पर प्रथम पांच वर्ष तक वार्षिक लीज राशि आधी दर से देय होगी। आवंटन पत्र जारी होने के 30 दिवस में अथवा नया वर्ष शुरू होने से 30 दिवस में पूर्व में वार्षिक लीज राशि की सात गुना (पूर्व में जमा एक वर्ष की लीज के अतिरिक्त) राशि एक मुश्त लीज राशि के रूप में जमा करायी जा सकती है।
9. व्यासायिक भूखण्ड "जहां है जैसा है" के आधार पर विक्रय किया जावेगा। भूखण्ड पर यदि किसी प्रकार की बिजली/पानी की लाईन/पोल इत्यादि लगा हुआ है तो उसकी जानकारी राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा दी जायेगी। उसके हटाने का खर्चा स्वंय क्रेता वहन करेगा। इस बाबत् कोई शर्त मण्डल को स्वीकार्य नही होगी।
10. भूखण्ड का पंजीयन :– विक्रय किये गये भूखण्ड की लीज डीड उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता कार्यालय द्वारा संबधिंत क्रेता के पक्ष में सम्पूर्ण विक्रय राशि जमा होने के 30 दिवस में करवाना अनिवार्य होगी।
11. भूखण्ड पर निर्माण : – क्रय किये गये भूखण्ड लीज डीड जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि में निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा। तीन वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य नही करवाने पर नियमानुसार शास्ति जमा कराने के पश्चात् आगामी दो वर्ष में निर्माण कार्य करवाना अनिवार्य होगा। अर्थात यदि भूखण्ड क्रय करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में पूरा निर्माण नही किया जाता है तो भूखण्ड का आंवटन निरस्त माना जावेगा एंव राजस्थान आवासन मण्डल उस भूखण्ड को भार मुक्त मानते हुये कब्जा ले सकेगा एंव आवंटी अथवा बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई राशि राजस्थान आवासन मण्डल के हक में जब्त की जा सकेगी एंव बोलीदाता को इसके लिये किसी प्रकार का मुआवजा देय नही होगा। निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही कराना होगा तथा शहरी निकाय के प्रचलित भवन निर्माण विधियों के मान दण्डों का ध्यान रखा जायेगा। निरस्तीकरण एंव भूखण्ड जब्ती की अपील राज्य सरकार के पास की जा सकेगी। राज्य सरकार के निर्णय की राजस्थान आवासन मण्डल पर बाध्यता होगी।
12. स्थानीय प्राधिकरण के बिल्डिंग बाईलॉज अपनाते हुए और सम्बंधित प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद ही निर्माण कार्य करवाना होगा।
13. नीलामी के बोलीदाता के साथ केवल एक व्यक्ति को प्रवेश दिया जावेगा।
14. अन्य शर्तें प्रपत्रानुसार एवं मण्डल नियमानुसार मान्य होंगी।
15. लीज राशि व एकमुश्त लीज राशि पर नियमानुसार सर्विस टैक्स देय होगा।
16. अधिक जानकारी के लिए मण्डल की बेवसाइट www.rhbonline.rajasthan.gov.in देखें अथवा आवासीय अभियंता, खण्ड–प्रथम के कार्यालय में सम्पर्क करें।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

सम्पर्क सूत्र :–

आवासीय अभियन्ता, खण्ड–प्रथम	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–तृतीय,
राजस्थान आवासन मण्डल, इन्दिरा गांधीनगर, जगतपुरा, जयपुर	राजस्थान आवासन मण्डल, जवाहर सर्किल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर
फोन नम्बर – 0141–2973987,	फोन नं. – 0141–2723844
मो. नं. – 9783810151	मो. नं. – 9983309406

RE-I, Jaipur

DHC JC-III
R.H.B. JAIPUR